COURT FEE
भारत INDIA
बीस रुपये TWENTY RUPEES

निगरानी 1142-PBR-15

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2015 निगरानी

(1)- बालमुकुन्द
(2)- पातीराम } पुत्रगण स्व0 श्री मेवाराम पाठक
(3)- राजू

(4)- श्रीमती प्रेमादेवी पत्नी स्व0 मेवाराम पाठक, निवासीगण ग्राम बिल्हैटी परगना व जिला ग्वालियर (म0प्र0)

---- आवेदकगण

दिनांक 21-5-15 को श्री एन. के. पाण्डे अभि. द्वारा प्रस्तुत।
21-5-15
SO

21-5-015

बनाम

(1)- नवलकिशोर पुत्र रामेश्वर दयाल शर्मा निवासी त्यागी नगर, मुरार, ग्वालियर
(2)- हरीशंकर पुत्र स्व0 श्री मेवाराम पाठक निवासी दीनदयाल नगर, एफ0एल0-821 ग्वालियर (म0प्र0)

------ अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, विरुद्ध आदेश दिनांक 05-05-15 जो न्यायालय अपर तहसीलदार वृत मुरार (श्री कौरव) द्वारा पारित किया गया।

----0----

महोदय,

निगरानीकर्तागण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

--2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 1142–अध्यक्ष/15 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–7–2015	आवेदकगण एवं अनावेदक क्रमांक 1 के विद्वान अभिभाषकों द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । 2/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा दिनांक 7–3–2014 को आदेश पारित कर स्थगन दिया गया है, अतः व्यवहार न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार को कार्यवाही स्थगित करना चाहिये थी, परन्तु उनके द्वारा कार्यवाही प्रचलित रखने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि वैसे भी संहिता की धारा 178 (1) के अंतर्गत स्वत्व का प्रश्न उपस्थित होने पर 3 माह के लिये कार्यवाही स्थगित करना चाहिये थी । इस कारण भी तहसीलदार द्वारा प्रकरण प्रचलित रखने में विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है । 3/ प्रतिउत्तर में अनावेदक क्रमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा आवेदकगण को प्रश्नाधीन भूमि से बेदखल नहीं करने एवं कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करने के अनावेदक क्रमांक 2 हरीशंकर को निर्देश दिये गये है । साथ ही अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के किसी भाग को विक्रय नहीं किये जाने के भी निर्देश दिये गये है। राजस्व न्यायालय की कार्यवाही को स्थगित नहीं किया	

गया है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा कार्यवाही प्रचलित रखने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

4/ तहसीलदार के प्रकरण में संलग्न व्यवहार न्यायालय के आदेश दिनांक 7–3–2014 को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा राजस्व न्यायालय में प्रचलित कार्यवाही को स्थगित नहीं किया गया है, अतः तहसीलदार द्वारा इस निष्कर्ष के साथ कि आवेदकगण द्वारा बार–बार आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण को विलंबित रखने के उद्देश्य से आपत्ति प्रस्तुत की जा रही है और प्रकरण प्रारंभिक तर्क हेतु नियत है, आवेदक की आपत्ति निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । संहिता की धारा 178 (1) के अंतर्गत व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु 3 माह के लिये कार्यवाही स्थगित रखे जाने का प्रावधान है, परन्तु आवेदक द्वारा व्यवहार वाद प्रस्तुत किया जा चुका है, इसलिये 3 माह के लिये कार्यवाही स्थगित करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा आवेदकगण की आपत्ति निरस्त कर प्रकरण प्रचलित रखने में प्रथम दृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष